

आधार डेटा की सुरक्षा

प्रलिस के लिये:

CAG, UIDAI, आधार अधिनियम 2016

मेन्स के लिये:

आधार और संबंधित मुद्दे, सरकारी नीतियाँ और हस्तकषेप ।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में [भारतीय वशिषिट पहचान प्राधकिरण \(UIDAI\)](#) ने पहले जनता को अपने आधार की एक फोटोकॉपी कसिी भी संगठन के साथ साझा नहीं करने की चेतावनी जारी की और बाद में इस चेतावनी को वापस ले लिया ।

भारतीय वशिषिट पहचान प्राधकिरण:

- **सांवधिकि प्राधकिरण:** UIDAI 12 जुलाई, 2016 को आधार अधिनियम 2016 के प्रावधानों का पालन करते हुए 'इलेक्ट्रॉनक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय' के अधकिार कषेत्र में भारत सरकार द्वारा स्थापति एक वैधानकि प्राधकिरण है ।
 - UIDAI की स्थापना भारत सरकार द्वारा जनवरी 2009 में योजना आयोग के तत्त्वावधान में एक संलग्न कार्यालय के रूप में की गई थी ।
- **जनादेश:** UIDAI को भारत के सभी नविसयिों को एक 12-अंकीय वशिषिट पहचान (UID) संख्या (आधार) प्रदान करने का कार्य सौंपा गया है ।
 - 31 अक्टूबर, 2021 तक UIDAI ने 131.68 करोड़ आधार नंबर जारी कयि थे ।

UIDAI की प्रारंभकि चेतावनी:

- UIDAI ने "आम जनता को कसिी भी संगठन के साथ अपने आधार की फोटोकॉपी साझा नहीं करने की चेतावनी दी, क्योंकि इसका दुरुपयोग कयि जा सकता है" ।
 - इसके स्थान पर 'मासकूड' आधार का उपयोग करने की सफिरशि की, जो आधार संख्या के केवल अंतमि चार अंक प्रदर्शति करता है" ।
- इसने जनता से अपने ई-आधार को डाउनलोड करने के लयि सार्वजनकि कंप्यूटरों का उपयोग करने से बचने के लयि भी कहा ।
 - उस स्थति में उन्हें उसी की भी डाउनलोड की गई प्रतयिों को "स्थायी रूप से हटाने" के लयि कहा गया था ।
- केवल वे संगठन जिन्होंने यूआईडीएआई से उपयोगाकर्त्ता लाइसेंस प्राप्त कयि है, वे कसिी व्यक्त् की पहचान स्थापति करने के लयि आधार का उपयोग कर सकते हैं ।
 - इसके अलावा आधार अधिनियम के कारण होटल और मूवी थयिटर को आधार कार्ड की प्रतयिों एकत्र करने या बनाए रखने की अनुमति नहीं है ।

आधार से संबंधति चतिाएँ:

- **आधार डेटा का दुरुपयोग:**
 - देश में कई नजिी संस्थाएँ आधार कार्ड पर ज़ोर देती हैं और उपयोगाकर्त्ता अक्सर वविरण साझा करते हैं ।
 - इस बारे में कोई स्पष्टता नहीं है कयि संस्थाएँ कैसे इन डेटा को नजिी और सुरक्षति रखती हैं ।
 - हाल ही में कोवडि-19 परीक्षण के साथ, कई लोगों ने देखा होगा कि अधकिंश प्रयोगशालाएँ आधार कार्ड के डेटा पर ज़ोर देती हैं, जसिमें एक फोटोकॉपी भी शामिल है ।
 - यह ध्यान दयि जाना चाहयि कि कोवडि-19 परीक्षण करवाने के लयि इसे साझा करना अनविर्य नहीं है ।
- **ज़बरन थोपना:**
 - वर्ष 2018 में सर्वोच्च न्यायालय ने नरिणय सुनाया कि आधार प्रमाणीकरण को केवल भारत के समेकति कषे से भुगतान कयि गए लाभों के लयि अनविर्य बनाया जा सकता है और आधार के वफिल होने पर पहचान सत्यापन के वैकल्पकि साधन हमेशा प्रदान कयि जाने चाहयि ।

- बच्चों को छूट दी गई थी लेकिन आँगनवाड़ी सेवाओं या स्कूल में नामांकन जैसे बुनियादी अधिकारों के लिये बच्चों से नियमिती रूप से आधार की मांग की जाती रही है।
- **मनमाना बहष्करण:**
 - केंद्र और राज्य सरकारों ने आधार के साथ कल्याणकारी लाभों के जुड़ाव को लागू करने के लिये "अल्टीमेटम पद्धती" का नियमिती उपयोग किया है।
 - इस पद्धती में यदि प्रयाप्तकर्ता सही समय में लिकेज नरिदेशों का पालन करने में वफिल रहता है, जैसे कअपने जॉब कार्ड, राशन कार्ड या बैंक खाते को आधार से लिके करने में वफिल होने पर लाभ को वापस ले लिया जाता है या नलिंबति कर दिया जाता है।
- **धोखाधड़ी-प्रवृत्त आधार-सकषम भुगतान प्रणाली (AePS):**
 - AePS एक ऐसी सुवधि है जो कसीं ऐसे व्कती को सकषम बनाती है जसके पास आधार से जुड़ा खाता है, वह भारत में कहीं से भी "बज़िनेस कॉरिस्पॉडेंट" के साथ बायोमेट्रिकि प्रमाणीकरण के माध्यम से पैसे निकाल सकता है- एक तरह का मनी-एटीएम।
 - भरषट व्यापार कॉरिस्पॉडेंट द्वारा इस सुवधि का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया गया है।

हाल ही में उठा मुद्दा:

- भारत के **नयित्तरक और महालेखा परीकषक (CAG)** ने आधार कार्ड जारी करने से संबंधति कई मुद्दों पर **भारतीय वशिषिट पहचान प्राधकिरण (UIDAI)** की नदि की है।
- 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने **आधार अधनियम की धारा 57** को रद्द कर दिया था।
 - आधार अधनियम की धारा 57 अनविर्य रूप से नजी संस्थाओं को नागरिकों के आधार वविरण एकत्त्र करने की अनुमती देती है। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवाधान की व्याख्या करते हुए इसे "असंवैधानिकि" कहा था।
 - बाद में **आधार और अनय कानून (संशोधन) अधयादेश, 2019** जारी किया गया, जसिने बैंकों और दूरसंचार ऑपरेटरों को पहचान के प्रमाण के रूप में आधार वविरण एकत्त्र करने की अनुमती दी।

आधार का महत्त्व:

- **पारदर्शति और सुशासन को बढ़ावा देना:** आधार नंबर ऑनलाइन एवं कफियती तरीके से सत्प्रापन योग्य है।
 - यह डुप्लीकेट और नकली पहचान को खत्त करने में अद्वितीय है तथा इसका उपयोग कई सरकारी कल्याण योजनाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु किया जाता है जससे पारदर्शति एवं सुशासन को बढ़ावा मलिता है।
- **नचिले स्तर तक मदद:** आधार ने बड़ी संख्या में ऐसे लोगों को पहचान प्रदान की है जनिकी पहले कोई पहचान नहीं थी।
 - इसका उपयोग कई प्रकार की सेवाओं में किया गया है तथा इसने **वत्तितीय समावेशन**, ब्रॉडबैंड और दूरसंचार सेवाओं, नागरिकों के बैंक खाते में **प्रत्यकष लाभ हस्तांतरण** में पारदर्शति लाने में मदद की है।
- **तटस्थ:** आधार संख्या कसीं भी जाती, धर्म, आय, स्वास्थय और भूगोल के आधार पर लोगों को वर्गीकृत नहीं करती है।
 - आधार संख्या पहचान का प्रमाण है, हालाँकि आधार संख्या इसके धारक को नागरकिता या अधवास का कोई अधिकार प्रदान नहीं करती है।
- **जन-केंद्रति शासन:** आधार सामाजिक और वत्तितीय समावेशन, सार्वजनिकि क्षेत्र के सुवधिओं के पहुँच में सुधारों, वत्तितीय बजटों के प्रबंधन, सुवधि बढ़ाने और समस्या मुक्त जन-केंद्रति शासन को बढ़ावा देने के लिये एक रणनीतिकि नीति उपकरण है।
- **स्थायी वत्तितीय पता:** आधार को स्थायी वत्तितीय पते के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, यह समाज के वंचति और कमज़ोर वर्गों के वत्तितीय समावेशन की सुवधि प्रदान करता है, अतः न्याय और समानता का एक उपकरण है।
 - इस प्रकार आधार पहचान मंच **'डजिटल इंडिया'** के प्रमुख स्तंभों में से एक है।

आगे की राह

- **सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का पालन करें:**
 - सरकार को **सर्वोच्च न्यायालय** के नरिदेशों का पालन करना चाहिये और उन्हें लागू करना चाहिये, जनिमें शामिल हैं:
 - अनुमत उद्देश्यों के लिये अनविर्य आधार का प्रतबंध।
 - आधार प्रमाणीकरण वफिल होने पर वकिल्प का प्रवाधान।
 - बच्चों के लिये बिना शर्त छूट।
- **लाभ वंचना नषिध:**
 - लाभों को वापस या नलिंबति नहीं करना चाहिये:
 - उन नामों का अग्रमि प्रकटीकरण, जनिहें हटाए जाने की संभावना है, साथ ही प्रस्तावति वलिोपन का कारण।
 - प्रभावति लोगों को कारण बताओ नोटसि जारी करना और उन्हें जवाब देने या अपील करने का अवसर (प्रयाप्त समय के साथ) प्रदान करना।
 - दनिंक और कारण सहति वलिोपन के सभी मामलों का पूर्व एवं पश्चात प्रकटीकरण।
- **मज़बूत सुरकषा उपायों की ज़रूरत है:**
 - **भारतीय राष्ट्रीय भुगतान नगिम (NPCI)** को आधार-सकषम भुगतान प्रणाली की कमयिों और उचति शकियत नविरण सुवधिओं के खलिाफ शीघ्र मज़बूत सुरकषा उपाय करने चाहिये।

यूपीएससी सविलि सेवा परीकषा, वगित वर्षों के प्रश्न:

प्रश्न: नमिनलखिति कथनों पर वचिार कीजयि: (2018)

1. आधर कारड का उपयोग नागरकिता या अधविस के प्रमाण के रूप में कयिा जा सकता है ।
2. एक बार जारी होने के बाद आधर संख्या को जारीकर्त्ता प्राधकिारी द्वारा समाप्त या छोड़ा नहीं जा सकता है ।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (d)

- आधर प्लेटफॉर्म सेवा प्रदाताओं को नविसयिों की पहचान को सुरक्षति और त्वरति तरीके से इलेक्ट्रॉनकि रूप से प्रमाणति करने में मदद करता है, जसिसे सेवा वतिरण अधकि लागत प्रभावी एवं कुशल हो जाता है । भारत सरकार और UIDAI के अनुसार आधर नागरकिता का प्रमाण नहीं है ।
- हालौंकि UIDAI ने आकस्मकिताओं का एक सेट भी प्रकाशति कयिा है जो उसके द्वारा जारी आधर अस्वीकृति के लयिे उत्तरदायी है । मशिरति या वषिम बायोमेट्रकि जानकारी वाला आधर नषिक्रयि कयिा जा सकता है । आधर का लगातार तीन वर्षों तक उपयोग न करने पर भी उसे नषिक्रयि कयिा जा सकता है ।

स्रोत: इंडयिन एक्सप्रेस

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/safeguarding-aadhaar-data>

